न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2023/139

1. सुरेश पुत्र श्री रामदयाल उम्र 45 वर्ष लगभग निवासी ईसर पटटी तन पावटा पुलिस थाना सलेमपुर जिला दौसा राजस्थान, वर्तमान पता बाड कैमरी पोस्ट भीलापाडा पुलिस थाना नादौती जिला करौली राजस्थान, हाल आजीवन कारावासी दंडित बंदी

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 05.04.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान बंदी पैरोल रिहाई नियम 2021 के अन्तर्गत जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि दंडित बंदी सुरेश पुत्र श्री रामदयाल उम्र 45 वर्ष लगभग निवासी ईसर पटटी तन पावटा पुलिस थाना सलेमपुर जिला दौसा राजस्थान, वर्तमान पता बाड़ कैमरी पोस्ट भीलापाडा पुलिस थाना नादौती जिला करौली राजस्थान, वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह जयपुर में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है हाल ही में खुली बंदी शिविर पर स्थानान्तरण किया गया है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम 7 दिवस नियमित पैरोल अवकाश हेतु आवेदन किया गया था जिस पर अधीक्षक केन्द्री कारागृह जयपुर ने अपीलार्थी का 7 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (जिला पैरोल समिति जयपुर) को भिजवाया गया, दिनांक 21.09.2022 को जिला पैरोल समिति जयपुर की बैठक आयोजित हुई जिसमें जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के आदेश दिनांक 28.092022 द्वारा अपीलार्थी का 7 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण निरस्त कर दिया, अपीलार्थी का कारागृह में आचरण संतोषप्रद है एवं अपीलार्थी ने 7 दिवस नियमित पैरोल रिहाई हेतु राजस्थान पैरोल नियम 2021 के नियम 20 के तहत पात्रता अर्जित कर ली है, जिला पैरोल समिति द्वारा बिना पूर्ण विचार कर अपीलार्थी के पैरोल प्रकरण को निरस्त कर दिया है जिसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में डी.बी. क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 714/2022 दायर की गई जिसे दिनांक 20.12.2022 को अपीलार्थी द्वारा विड्रो कर लिया गया, विड्रो के साथ माननीय न्यायालय द्वारा नियमों में मौजूद अलटरनेटीव रैमेडी का उपभोग की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः राजस्थान पैरोल नियम 2021 के नियम 18 के तहत अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी के 7 दिवस

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

नियमित पैरोल प्रकरण पर पुनः विचार कर जिला पैरोल समिति जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2022 को अपास्त फरमाकर अपीलार्थी को 7 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा करने के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर दक्षिण (प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा) एवं अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर उपस्थित। उन्होने कथन किया है कि उक्त बंदी को पूर्व में दिनांक 20.9.2008 से 09.10.2008 तक 20 दिवस नियमित पैरोल अवकाश पर रिहा किया गया था जो बाद पैरोल जेल में दाखिल नही होकर फरार हो गया, जिसे बाद फरारी पुलिस थाना लालकोठी जयपुर शहर पूर्व द्वारा प्रकरण सख्या 369/17 (एफ.आई.आर. नम्बर 147/08) में गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाया गया, उक्त बंदी के पैरोल प्रकरण के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट करौली के पत्रांक 19772 दिनांक 01.09.2022 जिसमें उक्त बंदी को नियमित पैराल पर रिहा करने के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक करौली के पत्रांक क–2 एमओबी/करौली/2022/3314 दिनांक 20.07.2022 द्वारा आपत्ति रिपोर्ट प्रेषित की है। उक्त पैरोल प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 21.09.2022 को आयोजित जिला पैरोल परामशर्मदात्री समिति की बैठक में बंदी के पैरोल के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट करौली की असहमति एवं बंदी पूर्व पैरोल प्रकरण में समय पर जेल दाखिल न होकर फरार होने के कारण बंदी का नियमित पैरोल प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया गया जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी पूर्व में दिनांक 20.09..2008 से 09.10.2008 तक 20 दिवस नियमित पैरोल अवकाश पर रिहा किया गया था जो बाद पैराल जेल में दाखिल नही होकर फरार हुआ है एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलार्थी के पैरोल के सम्बन्ध में असहमति दी है। ऐसी स्थिति में जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर के सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से बंदी का नियमित पैरोल प्रार्थना अस्वीकृत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2022 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर

5/4/2023